न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2021-366RAAJodhpur2021-178RTA225 Gopalsingh ors Vs Gayadsingh etc

01. गोपालसिंह पुत्र उतमसिंह
02. पदमसिंह पुत्र मेघसिंह
जातियान् राजपूत, निवासीगण- ग्राम जैमला, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. गायड़सिंह पुत्र रणजीतसिंह उर्फ शिवजीसिंह
02. मदनसिंह पुत्र रणजीतसिंह उर्फ शिवजीसिंह
03. प्रयागसिंह पुत्र रणजीतसिंह उर्फ शिवजीसिंह
04. गिरधरसिंह पुत्र रणजीतसिंह उर्फ शिवजीसिंह
05. रामसिंह पुत्र रणजीतसिंह उर्फ शिवजीसिंह
06. पूनमसिंह उर्फ जितेन्द्रसिंह पुत्र रणजीतसिंह उर्फ शिवजीसिंह
07. बनेसिंह पुत्र रणजीतसिंह उर्फ शिवजीसिंह
जातियान् राजपूत, निवासीगण- ग्राम जैमला, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
08. पदमसिंह पुत्र भंवरसिंह
09. उम्मेदसिंह पुत्र भंवरसिंह
10. शम्भुसिंह पुत्र भंवरसिंह
11. उतमसिंह पुत्र नारायणसिंह
12. देवीसिंह पुत्र आम्बसिंह
13. किशनसिंह पुत्र आम्बसिंह
14. शैतानसिंह पुत्र आम्बसिंह
15. रामसिंह पुत्र आम्बसिंह
16. रूपसिंह पुत्र आम्बसिंह
17. छोटूसिंह पुत्र आम्बसिंह
18. मेराजसिंह पुत्र जोधसिंह
19. अनोपसिंह पुत्र नारायणसिंह
जातियान् राजपूत, निवासीगण- ग्राम जैमला, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 07 अक्टूबर 2021 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 85/2021 गायड़सिंह व अन्य बनाम पदमसिंह इत्यादि

उपस्थित-
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 20

नि र्ण य

दिनांक : 13 नवंबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 85/2021 अनवान गायड़सिंह व अन्य बनाम पदमसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 07 अक्टूबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को प्रस्तुत की है।

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से सात ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 18 रकबा 161.06 बीघा एवं खसरा नं. 19 रकबा 167 बीघा ग्राम भोजनगर तहसील बाप के संबंध में धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थीगण द्वारा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर दावे के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 07 अक्टूबर 2021 जरिये प्रार्थना पत्र अन्तरिम रूप से स्वीकार कर लिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड सहखातेदार

अपील प्राधिकारी

काश्तकार है। माननीय राजस्व मण्डल, उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलार्थीगण विवादित भूमि में अपने हक-हिस्से की भूमि पर कृषि विकास कार्य करना चाहते है, जिसके लिये कृषि कनेक्शन आये हुए है। मात्र कृषि कनेक्शन को रुकवाने हेतु वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों निर्धारक बिंदुओं पर विवेचन किये बिना ही अपीलांट्स के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। अपीलार्थीगण विवादित भूमि के सहखातेदार काश्तकार होने से उन्हें अपनी भूमि के उपयोग-उपभोग व प्रबंध करने के पूर्ण अधिकार है, जिस कारण प्रथमदृष्टया मामला एवं सविधा का संतुलन अपीलांट्स के पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में प्रत्यर्थी संख्या एक से सात को कृषि कनेक्शन में बाधा उत्पन्न कर रहे है, जिससे अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति हो रही है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07 अक्टूबर 2021 को निरस्त किया जावे

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 18 रकबा 161.06 बीघा एवं खसरा नं. 19 रकबा 167 बीघा ग्राम भोजनगर तहसील बाप के रेकर्डेड सहखातेदार दर्ज है। पक्षकारान्/कृषक को अपनी जीविकोपार्जन हेतु अपने हक-हिस्से की कृषि भूमि के उपयोग-उपभोग एवं कृषि विकास हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी

कृषि कनेक्शन इत्यादि स्थापित करने से अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये रोका जाना न्यायोचित नहीं है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलाण्ट्स के पक्ष में प्रतीत होते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में पक्षकारान् को अपने हक-हिस्से की भूमि के सुधार एवं कृषि विकास की छूट दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में मामला उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत अंतिम निस्तारण हेतु पुनः विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 85/2021 अनवान गायड़सिंह व अन्य बनाम पदमसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 07 अक्टूबर 2021 में उभय पक्ष को अपने-अपने हक-हिस्से की भूमि में नलकूप खुदवाने एवं कृषि कनेक्शन लिये जाने की छूट प्रदान की जाती है। साथ ही मामला विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 01 माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर